

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राज्यपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 234]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 30 अप्रैल 2011—वैशाख 10, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल, 2011

क्र. एफ-ए-3-30-2010-1-पांच (43).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर, अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) (जो इसमें इसके पश्चात् प्रवेश कर अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हेतु, उक्त अधिनियम के अधीन प्रवेश कर के भुगतान से पूर्णतः छूट देती है:—

सारणी

माल का वर्ग

(1)

प्रवेश कर अधिनियम से संलग्न
अनुसूची दो तथा अनुसूची तीन
में विनिर्दिष्ट माल.

निर्बन्धन तथा शर्त जिनके अध्यधीन छूट मंजूर की गई है

(2)

जब कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा स्थापित किसी औद्योगिक इकाई के अद्विनिर्मित उत्पाद हों, को मध्यवर्ती प्रसंस्करण या परिष्कृत (फिनिशिंग) के लिए किसी भिन्न स्थानीय क्षेत्र में स्थित किसी औद्योगिक इकाई को अंतरित किया जाता है और ऐसे प्रसंस्करण या परिष्कृत के पश्चात् अंतिम विक्रय योग्य उत्पाद के निर्माण हेतु मूल इकाई को वापस अंतरित किया जाता है।

या

जब कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा स्थापित किसी औद्योगिक इकाई द्वारा, किसी स्थानीय क्षेत्र में औद्योगिक इकाई के एक से अधिक स्थानीय क्षेत्र में स्थापित होने या विस्तारित होने के कारण प्रवेश कराया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव,

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2011

क्र. एफ-ए-3-30-2010-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-30-2010-1-पांच, (43), दिनांक 30 अप्रैल 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 30th April 2011

No. F-A- 3-30-2010-1-V-(43).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) (hereinafter referred to as the Entry Tax Act), the State Government, hereby, exempts in whole the class of goods specified in column (1) of the Table below, from payment of entry tax under the said Act, subject to the restrictions and conditions specified in column (2) of the said table:—

TABLE

Class of goods (1)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (2)
Goods specified in Schedule II and Schedule III appended to the Entry Tax Act.	When the goods specified in column (1) being semi-finished product of an industrial unit established by a registered dealer, are transferred to an industrial unit situated in a different local area for intermediate processing or finishing and after such processing or finishing, are transferred back to the original unit for manufacture of final saleable product.
	OR
	When the goods specified in column (1) are entered into a local area by an industrial unit established by a registered dealer, by virtue of the industrial unit being established in or spread over more than one local area.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.